न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 161/2012

वादीया :- बनाम प्रतिवादीगण :-

1. सुशीला पुत्र मोहनलाल
जाति-मेघवाल, निवासी-सिणला, हाल
-निम्बोल, तह.-जैतारण,जिला-पाली

1. शैतानराम पुत्र जवानराम
2. बुधाराम पुत्र जवानराम
3. उगमा पुत्री मोहनलाल
4. शांति पुत्र मोहनलाल
जाति-मेघवाल,निवासी-सिणला
तह-जैतारण, जिला-पाली (राज.)
5. उपपंजियन अधिकारी एवं
तहसीलदार, जैतारण
तह.-जैतारण,जिला-पाली
6. पटवारी, पटवार हल्का-डिगरना
तह-जैतारण,जिला-पाली (राज.)

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू:.28.08.2012

उपस्थित:- 1. श्री नितेश चौहान, अधिवक्ता, वादी।

-:: निर्णय ::- दिनॉक:- 10/07/2015

वकील मय वादीया ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि राजस्व मौजा-सिणला, पटवार हल्का-डिगरना, तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राजस्थान) में खसरा नम्बर 60 रकबा 58 बीघा 05 बिस्वा किस्म बारानी दोयम कृषि वादी व प्रतिवादीगण की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आई हुई हैं, जिस पर वादीया एवं प्रतिवादीगण अपने-अपने हिस्से मुजब मौके पर बिना रोक टोक के शांतिपूर्वक काश्त करते आ रहे हैं। नकल जमाबन्दी साथ पेश की हैं, जिसे वाद-पत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें। उक्त वर्णित कृशि भूमि में वादीया के पिता मोहनलाल के 1/3 हिस्से मे से वादीया के 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 3 का 1/3 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या चार का 1/3 का 1/3 हिस्सा आता हैं तथा इसी हिस्सेदार मौके पर काबिज होकर काष्त करते आ रहे हैं। उक्त वर्णित कृषि भूमि सामलाती होने से वादीया अपनी कृषि भूमि में खाद बीज डालकर उपजाऊ बनाने हेतु खाद बीज डालने हेतु बैंक से ऋण नहीं ले सकती है तथा वादीया को सामलाती कृषि भूमि होने के कारण अनेकों प्रकार की कठिनाईयां का सामना करना पडता हैं तथा वादीयों अपनी कृषि भूमि से कुआ खुदवाकर उस पर विद्युत कनेक्शन सामलाती भूमि होने से नहीं ले सकती हैं तथा वादीया को अनेकों प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड रहा हैं। उक्त वर्णित कृषि भूमि की 1/3 के 1/3 हिस्से की खातेदारी काश्तकार होने से अपने 1/3 का बाई मिट्स् एण्ड बाउण्डस् बंटवाडा करवाने हेतु प्रतिवादीगण को दिनांक 22/08/2012 को कहा तो प्रतिवादीगण स्पष्ट रूप से ईन्कार हो गये व उक्त कृषि

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

भूमि से बेदखल करने की भी ऐलानिया धमकी दी व यह भी कहा कि हम बिना कानूनी बंटवाडा करवाये ही उक्त भूमि को किसी भू-माफिया के जरिये निम्बोल मे बनी फैक्टी को दिलवा देगें। प्रतिवादीगण अगर बिना कानूनी बंट्वाडा करवाये जाने भूमि को किसी अन्य को बेचान हस्तान्तरण कर देते हैं, तो एक अजनबी केता उक्त भूमि के मुख्य भू-भाग पर कब्जा करेगा, जो वादीया हरगिज क्रेता को ऐसा करने नही देगी। तब मौके पर लडाई झगडा व टन्टा फसाद होगा। नाहक पेचिदगिया बढेगी तथा वादीया को असीम क्षति होगी व वादीया अपने साम्पैतिक हक व अधिकारों से महरूम हो जायेगी। इसलिए वादीया के पास अन्य कोई विकल्प पेश नहीं रहने से यह वाद बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया हैं। प्रतिवादीगण ने वादीया को यह भी ऐलानिया धमकी दी कि हैं हम तो उक्त भूमि को बेचान करके ही रहेगे तथा तुम्हे इस कृषि को बेचान करके ही रहेगें तथा तुम्हे इस कृषि भूमि मे काश्त नही करने देगें। अगर प्रतिवादीगण अपने नापाक इरादों में कामयाब हो जाते हैं तो वादीया अपने जायज हक व अधिकारों से महरूम होगी व वादीया को अपूर्णिय क्षति होगी व मल्टीप्लीसिटी आफ प्रोसिर्डिंग्स बढेगी। इसलिए यह वाद बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया हैं। प्रतिवादी संख्या 5 तहसीलदार, जैतारण भूमिधारी राजस्थान होने से तथा बंटवाडे के वाद मे पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया हैं। प्रतिवादी संख्या 5 उप पंजीयन अधिकारी के समक्ष यदि प्रतिवादीगण किसी प्रकार का बेचान हस्तान्तरण का दस्तावेज बिना कानूनी बंटवाडा करवाये प्रस्तुत करें, तो उसका पंजीयन नहीं करे तथा वर्तमान राजस्व रेकर्ड वच मौके की स्थिति को यथावत बनाये रखने हेतु इस वाद में पक्षकार बनाया गया हैं तथा प्रतिवादी संख्या 6 पटवारी पटवार हल्का-डिगरना किसी प्रकार का राजस्व रेकर्ड में रद्दोबदल नही करे इस हेतु पक्षकार बनाया गया हैं। प्रतिवादी संख्या 5 व 6 राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि होने से उनके विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने से पुर्व दो माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक हैं। परन्तु वाद आवश्यक प्रकुति का होने से तथा नोटिस दिया जाना आवश्यक प्रकृति का मक्सद ही समाप्त हो जायेगा। इसलिए बिना नोटिस देने में समय लगने व नोटिस दिये ही वाद न्यायलय की अनुमति से पेश किया हैं तथा अनुमति बाबत् धारा 80-(2) सीपीसी का प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया हैं। बिनायवाद दिनांक 22/08/2012 को वादीया ने प्रतिवादीगण को उक्त भूमि का कानूनन बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा करवाने का कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा स्पष्ट रूप से ईन्कार होने तथा वादीया को अपने हिस्से से बेदखल करने व काश्त नही करने देने की व बिनस बंटवाडा करवाये ही उक्त भूमि को किसी अजनबी क्रेता को बेचान हस्तान्तरण रहन आदि करने की ऐलानिया धमकी दी तब बमुकाम-सिणला, तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राजस्थान) में उत्पन्न हुआ, जो श्रीमान के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार मे होने से यह श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत हैं। इस प्रकार माफिक दावा वादीगण ने वाद डिक्री किया जाकर वादी की भूमि का पक्षकारानों में बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया।

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र - डिगरना में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजस्व मौजा-सिणला, पटवार हल्का-डिगरना, तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राजस्थान) में खसरा नम्बर 60 रकबा 58 बीघा 05 बिस्वा किस्म बारानी दोयम भूमि स्थित हैं। जिसमें वादीया तथा

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

प्रतिवादीगण का माफिक राजस्व रिकॉर्ड हिस्सा आता हैं। इसी अनुसार मौके पर काबिज हैं तथा इसी अनुसार बंटवाड़ा कराने पर सहमत हैं। तहसीलदार, जैतारण ने बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा रिपोर्ट / विभाजन प्रस्ताव मय रूबरू उभय पक्षों व मौतबिरानों के तैयार करवाकर फर्द मौका मय नजरी नक्शा आज दिनांक 10/07/2015 को ही पेश किया, सामिल मिसल किया गया। उभय पक्षकारानों मय वकुलाय को सुना गया। वस्तुतः माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट / विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाना तथा पक्षकारों में विवादित आराजी की भूमि का बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि राजस्व मौजा–सिणला, पटवार हल्का–डिगरना, तहसील–जैतारण, जिला–पाली (राजस्थान) में खसरा नम्बर 60 रकबा 58 बीघा 05 बिस्वा किस्म बारानी दोयम का निम्नांकित रूप से बंटवाड़ा किया जाता हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	सुशीला पुत्री मोहनलाल कौम–मेघवाल सा0 देह खातेदार।	60/6	6-09-00	बा0दो0	1.55 रू0
2	उगमा पुत्री मोहनलाल, चिमनाराम पुत्र शैतानराम कौम–मेघवाल सा0 देह खातेदार।	60/1 60/4	10-19-00 2-00-00	बा0दो0	3.11 रू0
	योग	2	12-19-00	बा0दो0	3.11 रू0

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट / विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 10/07/2015 को राजस्व लोक अदालत आयोजित अटल सेवा केन्द्र–डिगरना पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण

बईजलास :– **श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0**

वादीया :– बनाम प्रतिवादीगण :–

1. सुशीला पुत्र मोहनलाल
जाति–मेघवाल, निवासी–सिणला, हाल –निम्बोल, तह.–जैतारण,जिला–पाली

1. शैतानराम पुत्र जवानराम
2. बुधाराम पुत्र जवानराम
3. उगमा पुत्री मोहनलाल
4. शांति पुत्र मोहनलाल
जाति–मेघवाल,निवासी–सिणला
तह–जैतारण, जिला–पाली (राज.)
5. उपपंजियन अधिकारी एवं
तहसीलदार, जैतारण
तह.–जैतारण,जिला–पाली
6. पटवारी, पटवार हल्का–डिगरना
तह–जैतारण,जिला–पाली (राज.)

<u>राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u> मु0न0 :रा0वा0 स0: 161/2012

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरु ....–....... व हाजरी श्री नितेश चौहान, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्दई व मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता हैं कि माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि राजस्व मौजा–सिणला, पटवार हल्का–डिगरना, तहसील–जैतारण, जिला–पाली (राजस्थान) में खसरा नम्बर 60 रकबा 58 बीघा 05 बिस्वा किस्म बारानी दोयम का निम्नांकित रूप से बंटवाड़ा किया जाता हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	सुशीला पुत्री मोहनलाल कौम–मेघवाल सा0 देह खातेदार।	60/6	6-09-00	बा0दो0	1.55 रू0
2	उगमा पुत्री मोहनलाल, चिमनाराम पुत्र शैतानराम कौम–मेघवाल सा0 देह खातेदार।	60/1 60/4	10-19-00 2-00-00	बा0दो0	3.11 रू0
	योग	**2**	**12-19-00**	बा0दो0	**3.11 रू0**

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट / विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीया के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 10/07/2015 को जारी किया गया ।

मोहर (उपखण्ड अधिकारी जैतारण पाली — stamp)

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रूपये पैसे	मुद्दायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	01 - 00	स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा	01 - 00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	01 - 00	महनताना वकील	
महनताना वकील	- -	खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	3 - 00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर	-	बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	-	मुत्फरिक	
मिजानः-	06 - 00	मिजानः-	

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner